दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 26 फरवरी 2024
निर्णय उदघोषित: 09 अप्रैल 2024

सि.पु.या. 128/2018 और सि.वि.आ. 25952/2018

मनीष गुप्ता .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री रितिका डेविस, अधिवक्ता

बनाम

मेसर्स पी. सिंह चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड. ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री परमिंदर सिंह, व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी के लिए अधि.प्रति.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

<u>निर्णय</u>

1. इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री परमिंदर सिंह द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को सुना, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। हालाँकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मुख्य अधिवक्ता के उपलब्ध नहीं होने के लिए आवास की मांग कर रहे थे और उन्हें दो सप्ताह के भीतर संक्षिप्त प्रस्तुतियां दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है। चूँकि इस पुनरीक्षण ने विधि और तथ्य का एक तुच्छ मुद्दा उठाया है, इसलिए यह न्यायालय उसी पर निर्णय देने के लिए आगे बढ़ा है।

2. अनावश्यक विवरणों से वंचित, प्रत्यर्थी/वादी कंपनी एक चिट फंड कंपनी है, जिसने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1981 के आदेश XXXVII नियम 4 के तहत याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के खिलाफ अस्वीकृत चेक की तिथि यानी 06.10.2015 से वसूली तक 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 90,000 रुपये की वसूली के लिए वाद दायर किया।

3. चूंकि सि.प्र.सं. के आदेश XXXVII नियम 3(2) के तहत निर्धारित प्रपत्र में समन की तामील के बावजूद याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने 90,000/- रुपये की राशि के लिए वाद का आदेश दिया, लेकिन यह माना कि यह राशि 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देय थी, क्योंकि दावा किया गया 24% ब्याज बहुत अधिक था।

4. वर्तमान मामले में दिनांक 10.03.2017 के आक्षेपित निर्णय को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने सि.प्र.सं. के आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 23.05.2018 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से निम्नलिखित कारण बताते हुए खारिज कर दिया गयाः

> "23.05.2018
>
> दोपहर 3:30 बजे।
>
> वर्तमानः व्यक्तिगत रूप से वादी।
>
> प्रतिवादी के लिए कोई नहीं।
>
> वर्तमान आदेश के अनुसार, मैं आदेश 9 नियम 13 सि.प्र.सं. के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन का निपटान करूंगा।
>
> वर्तमान वाद आदेश 37 सि.प्र.सं. के तहत दायर किया गया था और 10.03.2017 पर डिक्रीत किया गया था। इसके बाद, वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया। दलीलों के दौरान, यह प्रार्थना की गई कि सि.प्र.सं. के आदेश 37 के तहत इस

पर विचार किया जाए। प्रतिवादी के अनुसार, उसे 20.02.2017 को विचारण न्यायालय द्वारा जारी समन कभी प्राप्त नहीं हुआ तथा आदेशिका तामीलकर्ता की रिपोर्ट में हेरफेर किया गया है। फाइल के अनुसार 20.02.2017 को समन सतबीर नामक व्यक्ति को प्राप्त हुआ, जिसने प्रतिवादी के कर्मचारी के रूप में इसे प्राप्त किया। इसके बाद के घटनाक्रम में, प्रतिवादी ने सतबीर का एक शपथ पत्र दायर किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह प्रतिवादी की फर्म के कपड़े कमीशन के आधार पर बेचता है और नियमित रूप से प्रतिवादी की दुकान पर जाता है। उनके शपथ पत्र के अनुसार, उन्हें वर्तमान मामले के शीर्षक के साथ 14.02.2017 को विचारण न्यायालय से समन प्राप्त हुआ था और इसके बाद 20.02.2017 को उन्हें फिर से उसी शीर्षक के साथ विचारण न्यायालय से समन प्राप्त हुआ। उसने दावा किया है कि वह बहुत साक्षर नहीं है और अंग्रेजी समझने में समर्थ नहीं है और इसलिए उसने सोचा कि दोनों समन एक ही हैं और इसलिए उसने 20.02.2017 पर उसे प्राप्त दूसरा समन नहीं दिया था।

इसके विपरीत, वादी ने तर्क दिया है प्रतिवादी को समन/न्यायिक कार्यवाही की पूरी जानकारी थी। वादी ने प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच कई मामले हैं, लेकिन उसी शीर्षक के साथ एक अन्य मामले में जारी समन 14.02.2017 को प्रतिवादी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया था। इस तरह के समन की प्रमाणित प्रति दाखिल की गई है। प्रस्तुत है कि उक्त कर्मचारी सतबीर को दिनांक 17.03.2017 को पक्षकारों के मध्य एक अन्य मामले के लिए समन प्राप्त हुआ था। उक्त समन की प्रमाणित प्रति भी दाखिल कर दी गई है। तदनुसार, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी ने झूठी याचिका दायर की है और यहां तक कि उसके कर्मचारी ने भी गलत शपथ पत्र दायर किया है।

यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले का समन उक्त सतबीर को 20.02.2017 को प्राप्त हुआ था। हालाँकि, वादी द्वारा दायर दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि 14.02.2017 को उन्हें कोई समन प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि दावा किया गया था, बल्कि 17.03.2017 को उन्हें अन्य मामले के संबंध में समन प्राप्त हुआ था। दी गई परिस्थितियों में, वर्तमान मामले का समन प्रतिवादी की ओर से उक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त पहला समन था। उक्त व्यक्ति के अनुसार उसने प्रतिवादियों को पहला समन सौंप दिया, लेकिन प्रतिवादी को दूसरा समन नहीं दिया। इसलिए, वर्तमान मामले का समन प्रतिवादी द्वारा प्रथम समन के रूप में प्राप्त किया गया। आदेश 37 नियम 4 सि.प्र.सं. के अनुसार न्यायालय केवल विशेष परिस्थितियों में ही डिक्री को अपास्त कर सकता है। हालाँकि, उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती है क्योंकि न्यायालय

का मानना है कि प्रतिवादी को समन प्राप्त हुआ था। इसलिए, आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

उचित अनुपालन के बाद फाइल को अभिलेख कक्ष में परेषित किया जाए।"

5. उपरोक्त तर्क का सार यह है कि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की ओर से श्री सतबीर को 20.02.2017 को समन प्राप्त हुआ था और 14.02.2017 के लिए कोई समन जारी नहीं किया गया था, बल्कि उन्हीं पक्षकारों के बीच एक अन्य मामले में समन सं. एससीजे/103/2017 17.03.2017 को प्राप्त हुआ था। चाहे जो भी हो, जब वादी द्वारा कई वाद दायर किए जा रहे थे और समन जारी किए जा रहे थे, तो याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के मन में कुछ न कुछ भ्रम होना तय था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सतबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतने साक्षर नहीं थे। इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के मामले पर विश्वास किया जाए, तो श्री सतबीर उनकी दुकान पर एक नियमित ग्राहक था और उनके एजेंट या कर्मचारी नहीं था। यह देखते हुए कि प्रतिवादी/वादी एक चिट फंड कंपनी है, यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को विधि के अनुसार कार्यवाही का बचाव करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि उनका यह तर्क कि उन्हें वाद में समन विधिवत तामील नहीं कराया गया, सही प्रतीत होता है।

6. तदनुसार, दिनांकित 23.05.2018 का आक्षेपित आदेश अपास्त कर दिया जाता है।

7. इस न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय में सावधि जमा रसीद ["एफ.डी.आर."] के माध्यम से 45,000/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया, साथ ही निर्देश दिया कि एफ.डी.आर. को "स्वतः नवीनीकरण मोड" में परिवर्तित किया जाए और निष्पादन कार्यवाही के संचालन पर भी रोक लगा दी।

8. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी आज से 10 दिनों के भीतर सि.प्र.सं. के आदेश XXXVII नियम 3 (2) के संदर्भ में उपस्थिति दर्ज कराएगा और उसके बाद विदवान विचारण न्यायालय विधि के अनुसार मामले में आगे बढ़ाएगा। इस मामले को उचित कार्यवाही/आदेश के लिए 01.06.2024 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

9. इस आदेश की एक प्रति जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए विदवान विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

10. लंबित आवेदन के साथ वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का निपटान कर दिया गया है।

धर्मेश शर्मा, न्या.

अप्रैल 09,2024/सादिक़

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*